

1

कार्यालय कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल (मध्यप्रदेश)

सर्किट हाउस के पास, शहडोल- 484001 फोन नं0-07652-245555 फैक्स नं0 241222

E-Mail- commshahdol@mp.gov.in, commissionersshahdol@gmail.com

क्रमांक/फा.क 03-2013/वि.जांच-राजस्व/2017/4977 शहडोल,दिनांक 2 दिसम्बर 2017

प्रति, **॥ विविध/अनूपपुर/भूरा/2018/0313**

सचिव,
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर

विषय- प्रकरण कमांक 90/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2010 के प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति बावत।

51-1
7-14

10-1-18

विषयान्तर्गत अपीलार्थी श्री गंगा पिता गोजा राठौर निवासी बेला तहसील/जिला अनूपपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के प्र.क. 57/अपील/2008-2009 आदेश दिनांक 30-09-2009 के विरुद्ध इस न्यायालय में संहिता की धारा 44 (2) के तहत अपील प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर का आदेश व तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण कमांक 4/अ-6-अ/2006-07 आदेश दिनांक 31-10-2006 का आदेश निर्धारित सर्वमान्य प्रक्रिया का घोर उल्लंघन व मूलभूत सिद्धांत की अवहेलना किये जाने से दोनों अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को श्री प्रदीप खरे तत्कालीन कमिश्नर शहडोल द्वारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 10/अपील/2009-2010 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2010 तथा तहसीलदार अनूपपुर का आदेश दिनांक 31-10-2006 का पारित आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया था। साथ ही आदेश की प्रतिलिपि राज्य शासन को संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजी गई थी। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पत्र कमांक एफ-7-99/10/सात/4 ए भोपाल दिनांक 7-12-2010 के माध्यम से इस कार्यालय को सम्बोधित पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अधिकार संभागीय आयुक्त को प्रदत्त होना लेख कर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दीर्घशास्ति का प्रस्ताव होने पर शासन को भेजने का लेख किया गया था।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री अवधेश प्रताप सिंह तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर को कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 2308 दिनांक 7-4-2014 व श्री बिहारी सिंह तत्कालीन तहसीलदार अनूपपुर को कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 2309 दिनांक 7-4-2014 जारी कर जबाब लिया गया। श्री अवधेश प्रताप सिंह का अनूपपुर का प्रस्तुत जबाब यह था कि-आचरण नियमों के अनुरूप ही शासन हित में फर्जी पट्टाधारी से जमीन वापस लेकर "म0प्र0 शासन" दर्ज करने संबंधी तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया था, मेरे द्वारा आचरण नियमों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया गया है जारी कारण बताओ नोटिस नस्तीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था। इसी अनुक्रम में श्री बिहारी सिंह तत्कालीन तहसीलदार अनूपपुर का जबाब दिनांक 3-5-2014 मुख्य रूप से यह था कि प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-10-2006 को आगामी तिथि नियत की गई थी किन्तु उक्त प्रकरण की आदेश पत्रिका में लिपकीय भूल के कारण दिनांक 11-10-2006 को आगामी सुनवाई तिथि 26-10-2006 के बजाय 19-10-2006

Poliak

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

दो/विविध/अनूपपुर/भूरा./18/313

शासन विरुद्ध गंगा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-07-18	<p>आवेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल ने अपने पूर्व अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 की पूर्णरावलोकन की अनुमति चाही है। इस प्रकरण में शासकीय हित समाहित है। अतः विचारोपरांत पुर्नवलोकन अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>2/ आदेश की प्रति आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> (आर. के. जैन) सदस्य 19.7.18</p>